

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखें)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

148-रेवदर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

श्री मोतीराम

मु. पोस्ट -वासन तह. रेवदर जिला सिरोही

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए है।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है ।

स्थान : सिरोही

तारीख : 03-12-2023

(द्वाराम)

रिटर्निंग अधिकारी

148-रेवदर (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(द्वाराम आर.ए.एल.)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-148 रेवदर (अ.जा.) एवं

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रेवदर, जिला-सिरोही

FORM 21C

(See rule 64)

Declaration of the result of Election under section of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** State from the **148-REODAR(SC)** Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

SHREE MOTIRAM

AT POST – VASAN TEHSIL REODAR DIST. SIROHI

Sponsored by . **INDIAN NATIONAL CONGRESS** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : **SIROHI**
Date : **03-12-2023**


(**DOODARAM**)
RETURNING OFFICER
148-REODAR(SC) AC
(**दूदाराम आर.ए.एस.**)
रिटर्निंग ऑफिसर
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-148 रेवदर (राजस्थान) एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रेवदर, जिला-सिरोही